

53

:-:प्रोन्नति आदेश:-:

उत्तर प्रदेश सरकारी विभाग लिपिकीय संवर्ग सेवा नियमावली-2014 में दिये गये प्राविधानानुसार विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुति दिनांक 27-12-2023 के आधार पर राज्य कर विभाग में कार्यरत निम्नलिखित प्रधान सहायकों (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4200 / लेवल-6) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशासनिक अधिकारी (वेतन बैंड-2-9300-34800 सादृश्य ग्रेड वेतन 4600 / लेवल-7) के पद पर पदोन्नति प्रदान करते हुए अग्रिम आदेशों तक उन्हें उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर बनाये रखा जाता है:-

क्रम सं०	ज्ये० क्रमांक	कर्मचारी का नाम एवं पिता/पति का नाम श्री/श्रीमती/कु०	वर्तमान तैनाती	जन्मतिथि
01	02	03	04	05
01	2001	राजीव कुमार शर्मा/ महेन्द्र कुमार शर्मा	सहारनपुर	18-12-1973
02	2003	विनोद कुमार/ कल्लू राम	वाराणसी	15-01-1971
03	2004	राजेश कुमार पटेल/ जगत बहादुर	फतेहपुर	05-01-1983
04	2006	परिजात मणि/ पी०एन० मणि	मुख्यालय	05-07-1983
05	2008	मिथिलेश / कमलेश कुमार	गाजियाबाद	30-06-1968
06	2009	अंजुलता/ गोरख प्रसाद	बस्ती	04-02-1970

- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों की तैनाती विभिन्न जोन / कार्यालयों में स्वीकृत पदों के सापेक्ष अलग से सुनिश्चित करायी जायेगी।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह उपरोक्त पदोन्नत कर्मचारियों को पदोन्नति आदेश तामील कराते हुए उनके वर्तमान तैनाती स्थान पर ही प्रशासनिक अधिकारी के पद पर दिनांक 19-07-2024 तक कार्यभार ग्रहण कराये तथा यदि कोई कार्मिक किन्हीं कारणों से पदोन्नति के पद पर कार्यभार ग्रहण करने का इच्छुक न हो, तो उनसे उक्त आशय का पदोन्नति फोरगो प्रार्थना पत्र प्राप्त करके तत्काल अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराये।
- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी/सम्भागीय अधिकारी कृपया यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उपर्युक्त पदोन्नत कर्मिकों में से किसी कार्मिक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत आरोप पत्र/नोटिस निर्गत हो, सतर्कता जाँच/ई०ओ०डब्ल्यू० जाँच चल रही हो तो ऐसे कार्मिक पर यह पदोन्नति आदेश प्रभावी न मानते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण न कराए और अधोहस्ताक्षरी को तत्काल सूचित करें।
- उपरोक्त पदोन्नत कर्मिकों में से यदि किसी कार्मिक द्वारा निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो उसकी पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।
- वर्तमान में यदि कोई कर्मचारी स्तम्भ-4 में अंकित स्थान से स्थानान्तरित हो गया हो तो उसकी वर्तमान तैनाती का स्थान तदनुसार संशोधित मानकर सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी अपने स्तर से सम्बन्धित कर्मचारी को इस पदोन्नति आदेश की एक प्रति तामील कराते हुये कार्यभार ग्रहण करायेगे और इसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायेगे।

(सुनील कुमार वर्मा)


अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2)

सूचनांकन पत्र संख्या व दिनांक // उक्त ।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- जोनल अपर आयुक्त, राज्य कर, सहारनपुर, वाराणसी जोन प्रथम/ द्वितीय, प्रयागराज, गाजियाबाद जोन प्रथम/ द्वितीय, गोरखपुर ।
- 3- सम्बन्धित संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, सम्भाग-ए/ बी/ सी सहारनपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गाजियाबाद, गोरखपुर ।
- 4- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराये जाने हेतु ।
- 5- सम्बन्धित नियन्त्रक अधिकारी राज्य कर, सहारनपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गाजियाबाद, बस्ती, मुख्यालय ।
- 6- उपायुक्त (प्रशासन)/ आहरण वितरण अधिकारी, राज्य कर, सहारनपुर, वाराणसी, फतेहपुर, गाजियाबाद, बस्ती, मुख्यालय ।
- 7- पटल प्रभारी स्था-5(क), 4(क), 4(ख), 4(ग), 4(घ), स्था-6 (सामान्य), चरित्र पंजिका सेल (स्था0अराज0) राज्य कर, मुख्यालय ।
- 8- सम्बन्धित कर्मचारियों को (नाम से) ।



प्रबल कुमार)

संयुक्त आयुक्त (स्था0अराज0) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।